पुलिस आदेश संख्या 281 /2001

बिहार पुलिस हस्तक प्रथम खण्ड के नियम 1098 के अनुसार बेकाम (UNSV)शस्त्रों को नष्ट करने हेतु स्टील फैक्ट्री बोकारो या रायफल फैक्ट्री इच्छापुर को भेजने का प्रावधान है । जैसे-जैसे पुलिस में कार्यरत शस्त्रों का आधुनिकीकरण हो रहा है, पूर्व से मौजूद शस्त्र जैसे .303'' मार्क के सभी रायफल, .38'' एवं .455'' बोर के रिवाल्वर एवं .303'' लाईट मशीन गन इत्यादि धीरे-धीरे पुलिस विभाग से हटते जा रहे हैं । चूंकि पूर्ण रूप से इन्हें हटाने में समय लगेगा अत: तब तक इन हथियारों को पुलिस विभाग में रखना है जब तक ये विभाग से हट न जाए । इन शस्त्रों के पूर्जे या तो बनना बन्द हो गये हैं या बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहे हैं । कई बार छोटे-छोटे एकाध पूर्जो की कमी से भी शस्त्र सेवा योग्य नहीं रह जाते हैं और ऐसे शस्त्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । यदि सेवा से अयोग्य हथियारों की संख्या इसी क्रम में बढ़ती रही, तो धीरे-धीरे अधिकतर पुराने शस्त्र बेकाम हो जायेंगे ।

उपर्युक्त कठिनाईयों को कुछ कम किया जा सके इसके लिए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो शस्त्र बेकाम हो गये हैं और जिनके संबंध में जांच समिति की कार्रवाई पर संबंधित उप-महानिरीक्षक का अंतिम आदेश प्राप्त हो चुका है, वैसे सभी प्रकार के शस्त्रों को सभी आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा, वि0सै0पु0/एम0एम0पी0/गृ0र0वा0/प्राचार्य सी0टी0एस0, नाथनगर अपनी अपनी समिति पंजी में प्रवृष्टि करके परिचारी प्रवर, केन्द्रीय आयुद्ध भंडार, पटना के पास भेज दें ।

परिचारी प्रवर, केन्द्रीय आयुद्ध भंडार, पटना ऐसे प्राप्त बेकाम शस्त्रों को समिति पंजी में प्रवृष्टि कर ''बेकाम शस्त्रों की भंडार बही'' बनाकर उसमें लेगें । प्राप्त बेकाम शस्त्रों के काम लायक पूर्जो को आयुधिक कर्मी द्वारा निकलवा कर ''बेकाम शस्त्रों के काम लायक पूर्जो की भंडार बही'' बनाकर उसमें रखेगें । पूर्जे निकालते समय ध्यान रखा जायगा कि जिन पूर्जो पर आर्सनल नम्बर अंकित है उन्हें नहीं निकाला जायगा । परिचारी प्रवर केन्द्रीय आयुद्ध भंडार बेकाम शस्त्रों के निकाले गए पूर्जो को भंडार बही में लेने के बाद केन्द्रीय आयुधिक कर्मशाला को निर्गत करेंगे जहां से नये पूर्जो की तरह पुराने पूर्जो को भी आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायगा । इससे दो लाभ स्पष्ट रूप से होंगे, पहला कुछ सेवा से वंचित शस्त्र सेवा योग्य हो जायेंगे तथा दूसरा बड़ा लाभ यह होगा कि काम लायक बहुमूल्य पूर्जे नष्ट किये जाने से बच जायेंगें ।

आदेश दिया जाता है कि सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित)/समादेष्टा सै0पु0/जिला समादेष्टा, गृ0र0वा0 एवं आरक्षी अधीक्षक, विशेष शाखा बिहार पटना पुलिस हस्तक प्रथम खंड के नियम 1096 के प्रावधानों के अनुसार बेकाम घोषित किये गये सभी प्रकार के शस्त्रों को उपर बताये अनुसार परिचारी प्रवर, केन्द्रीय आयुद्ध भंडार, पटना के पास बिना देरी किये भेज दें । जिन शस्त्रों की जांच समिति की कार्रवाई पर संबंधित उ0म0नि0 का अंतिम मन्तव्य अप्राप्त हो वैसे शस्त्र नहीं भेजे जायेंगे ।

19/1/2001

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक......97....../आपूर्ति दिनांक 20-1-2001

71-1-32-2000

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार,पटना ।

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त एवं सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सभी आरक्षी अधीक्षक(रेल सहित)/समादेष्टा, सै0पु0 (एम0एम0पी0 सहित)/जिला समादेष्टा, गृ0र0वा0/ प्राचार्य, सी0टी0एस0, नाथनगर/ आरक्षी अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।
3- आरक्षी उपाधीक्षक, केन्द्रीय आयुद्ध कर्मशाला, पटना एवं परिचारी प्रवर, केन्द्रीय आयुद्ध भंडार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।
4- सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/सै0पु0 मंडलीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित ।
5- सभी प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक/ अपर महानिदेशक एवं महा समादेष्टा गृ0र0वा0 बिहार पटना / महानिदेशक, सै0पु0/ महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

19/1/2001

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।